भारत सरकार
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग
लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 587

मंगलवार, 03 फरवरी, 2026 को उत्तर दिए जाने के लिए

बौद्धिक संपदा जागरूकता

587. श्री कंवर सिंह तंवरः

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने अमरोहा, जोया, हसनपुर, बछरायूं और नौगांव सादात के कारीगरों, उद्यमियों और स्थानीय उत्पादक समूहों को मार्गदर्शन प्रदान करके उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले में बौद्धिक संपदा जागरुकता और उत्पाद ब्रांडिंग सहायता को बढ़ावा देने पर विचार किया है, ताकि अद्वितीय स्थानीय उत्पादों की पहचान, संरक्षण और प्रचार को मजबूत किया जा सके;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा उक्त जिले में बौद्धिक संपदा सुविधा, ब्रांडिंग सहायता, जागरूकता कार्यक्रमों और मार्गदर्शन/सहयोग गतिविधियों के अंतर्गत किए गए प्रयासों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री जितिन प्रसाद)

(क) से (ग): सरकार ने देशभर में बौद्धिक संपदा संबंधी जागरूकता उत्पन्न करने के उद्देश्य से कई पहलें शुरू की हैं। भारतीय भौगोलिक संकेतकों (जीआई) वाले उत्पादों की अंतर्राष्ट्रीय विजिबिलिटी बढ़ाने के लिए भी पहलें की गई हैं।

- **सीपैम द्वारा राष्ट्रव्यापी आईपी जागरूकता:** डीपीआईआईटी अपने आईपीआर संवर्धन और प्रबंधन प्रकोष्ठ (सीपैम) के माध्यम से भौगोलिक संकेतकों (जीआई) सहित आईपीआर जागरूकता फैलाने के लिए राष्ट्रव्यापी अभियान चला रहा है। अपनी स्थापना के बाद से, सीपैम ने शैक्षणिक संस्थानों के लिए 473 जागरूकता कार्यक्रम, एमएसएमई और स्टार्टअप्स सहित उद्योग जगत के लिए 406 और प्रवर्तन एजेंसियों तथा न्यायपालिका के लिए 146 कार्यक्रम आयोजित किए हैं। डीपीआईआईटी द्वारा देशभर के 33 विश्वविद्यालयों में आईपीआर चेयर्स स्थापित किए गए हैं, जो आईपीआर के बारे में जागरूकता फैलाने और आईपी शिक्षा प्रदान करने में डीपीआईआईटी की सहायता करते हैं। सीपैम की वेबसाइट

और ट्विटर व फेसबुक सोशल मीडिया हैंडल, आईपी कानूनों, नीतियों तथा आईपी सुरक्षा तंत्र के संबंध में जानकारी का प्रचार-प्रसार करते हैं, जिससे हितधारकों के बीच आईपी की ठोस मूलभूत समझ पैदा होती है। सोशल मीडिया पोस्ट छात्रों, कारीगरों, कलाकारों आदि सहित संपूर्ण भारत के लोगों तक पहुंचते हैं।

- **भारतीय जीआई का लक्षित प्रचार और विजिबिलिटी:** सामान्य जागरूकता के आधार पर, डीपीआईआईटी ने हमारे जीआई उत्पादों की घरेलू और वैश्विक विजिबिलिटी बढ़ाने के लिए व्यापक जीआई-केंद्रित प्रचार कार्यकलाप शुरू किए हैं। इसमें निम्नलिखित शामिल हैं:

  क. अन्य देशों के साथ चल रही व्यापार बातचीत में जीआई संरक्षण और मान्यता से संबंधित प्रावधानों को शामिल करना;

  ख. इंटरनेशनल फेयर जैसे ऑटम फेयर बर्मिंघम और बाजार बर्लिन में जीआई उत्पादकों की भागीदारी;

  ग. डिप्लोमैटिक फोरम जैसे जिनेवा, स्विट्जरलैंड में जीआरएटीके संधि राजनयिक सम्मेलन में जीआई का प्रदर्शन;

  घ. 419 जीआई उत्पादों के बारे में उनसे संबंधित विवरण वाला एक डिजिटल जीआई कैटलॉग तैयार करना और विदेशों में स्थित भारतीय मिशनों सहित इसका व्यापक प्रचार- प्रसार; तथा

  ङ. टीवी कार्यक्रमों, "स्पॉट द जीआई" जैसी सोशल मीडिया पहलों, इनफ्लाइट मैगज़ीन फीचर्स, *आउटलुक, नेशनल ज्योग्राफिक, मास्टरशेफ इंडिया के साथ सहयोग और एयरपोर्ट तथा दिल्ली मेट्रो में प्रचार-प्रचार* के माध्यम से व्यापक मीडिया आउटरीच।

- पिछले वर्ष, डीपीआईआईटी ने जनवरी 2025 में **"जीआई समागम"** का भी आयोजन किया था, जिसमें नीति निर्धारकों, उत्पादकों, कारीगरों, उद्योग जगत के लीडर्स और सरकारी हितधारकों को एक साथ लाते हुए, भारत में जीआई ईकोसिस्टम के भविष्योन्मुखी वृद्धि तथा विकास के संबंध में विचार-विमर्श किया गया।

- **परिणामत: जीआई पंजीकरण में वृद्धि:** इन निरंतर जागरूकता और आउटरीच प्रयासों के परिणामस्वरूप जीआई आवेदनों और पंजीकरण में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। आज तक, भारत में 724 से अधिक जीआई पंजीकृत हैं, जो जीआई संरक्षण की बेहतर समझ को दर्शाते हैं।

- **अमरोहा ढोलक का पंजीकरण और इसका महत्व:** पंजीकृत जीआई में उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले का *अमरोहा ढोलक* भी शामिल है, जिसे 13 फरवरी,

2023 को जीआई पंजीकरण प्राप्त हुआ। अमरोहा ढोलक, उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले में हाथ से तैयार किया जाने वाला एक पारंपरिक ताल वाद्य यंत्र है। इसके विशिष्ट शिल्प कौशल, बेहतर ध्वनि गुणवत्ता और गहरी सांस्कृतिक विरासत को मान्यता प्रदान करते हुए इसे **13 फरवरी, 2023 को भौगोलिक संकेतक पंजीकरण** प्रदान किया गया था। जीआई दर्जा प्राप्त होने से स्थानीय कारीगरों के हितों की रक्षा करने, उनके नाम के दुरुपयोग को रोकने और भारत के पारंपरिक संगीत वाद्य यंत्रों को प्रोत्साहन प्राप्त होने की संभावना है। इसकी समृद्ध परंपरा और सतत शिल्प कौशल के कारण, **अमरोहा ढोलक को उत्तर प्रदेश सरकार के तहत अमरोहा के एक जिला एक उत्पाद (ओडीओपी)** के रूप में नामित किया गया है। अमरोहा, ढोलक और तबला के विनिर्माण का एक प्रमुख केंद्र है, जिसमें लगभग 300 छोटी विनिर्माण इकाइयां लकड़ी आधारित ताल वाद्य यंत्रों का उत्पादन करती हैं। यह उद्योग 1,000 से अधिक कारीगरों को रोजगार प्रदान करता है। ढोलक पारंपरिक रूप से या तो हाथों से या डंडी से बजाया जाता है। सामाजिक तथा सांस्कृतिक प्रथाओं का विकास होने के साथ ही, इस वाद्य यंत्र के दायरे और लोकप्रियता में पर्याप्त विस्तार हुआ है। कारीगर, मुख्य रूप से आम और शीशम की लकड़ी का उपयोग करते हैं, उन्हें काटकर विभिन्न आकार और आकृतियों के खोखले ब्लॉक तैयार करते हैं, जिन पर बाद में वाद्य यंत्र को पूर्णतः तैयार करने के लिए पशुओं की खाल, अधिकांशतः बकरी की खाल चढ़ाई जाती है। तैयार उत्पादों को संपूर्ण भारत में संवितरित किया जाता है और प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में निर्यात किया जाता है।

- **नीपम की पूरक भूमिका:** डीपीआईआईटी, कार्यालय महानियंत्रक एकस्व, अभिकल्प और व्यापार चिह्न के माध्यम से राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा जागरूकता मिशन (नीपम) को भी कार्यान्वित करता है। दिसंबर 2021 से, नीपम ने सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में 9,600 से अधिक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए हैं, जिसमें जीआई सहित आईपी अधिकारों के संबंध में लगभग 26.2 लाख छात्रों और संकाय सदस्यों को जागरूक बनाया गया है। अमरोहा जिले में भी, योगेंद्र नाथ सक्सेना कॉलेज ऑफ फार्मेसी एंड रिसर्च सेंटर, अमरोहा में नीपम के तहत 73 छात्रों और संकाय सदस्यों को बौद्धिक संपदा अधिकारों के बारे में जागरूक करने के लिए एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। कुल मिलाकर इन पहलों ने भारत के आईपी ईकोसिस्टम को सुदृढ़ किया है।

*****